166

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2013/08(120)/XXVII(8)/2003
देहरादूनः: दिनांक :: 18 नवम्बर, 2013

: कार्यालय–ज्ञाप :

1– शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 658/2013/08(120)/XXVII(8)/2003 दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा व्यवस्था की गयी थी कि यदि राज्य सरकार का कोई विभाग, निगम अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के ही किसी विभाग, निगम अथवा उपक्रम के किसी आदेश अथवा कार्यवाही (proceedings) से क्षुब्ध(aggrived) हैं और उसे कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल में चुनौती देने के उद्देश्य से मुकदमा दायर करने योग्य समझता है तो उसे ऐंसे मामले को, इस हेतु शासन द्वारा गठित High Power Committee(HPC) को सन्दर्भित करना होगा। HPC के अन्दर सुलह (conciliation) का प्रयास किया जायेगा जिससे विवाद आपसी विचार–विमर्श के द्वारा समिति की मध्यस्थतता (good offices) से हल हो जायें। यदि समिति विवाद को हल करने में असमर्थ रहती हो तो उसके द्वारा इसके कारणों को अंकित (record) करते हुए litigation हेतु clearance प्रदान किया जायेगा।

2– High Power Committee का गठन करते हुए उक्त व्यवस्था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "Oil And Natural Gas Commission बनाम Collector Of Central Excise" के वाद [1994] 70 ELT 45 / [2004] 6 SCC 437 में दिए गए निर्णय दिनांक 07 जनवरी, 1994 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत की गयी थी।

3– परन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा, Electronics Corporation of India Ltd.-Appellant(s) बनाम Union of India & Ors.- Respondent(s) के मामले में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को आदेश जारी करते हुए, इस संबंध में अपने द्वारा जारी किए गए पूर्व आदेशों (i)1995 Supp(4) SCC 541 dated 11-10-1991 (ii) (2004)6SCC 437 dated 07-01-1994 एवं (iii) (2007) 7 SCC 39 dated 20-07-2007 दिनांक 07 जनवरी, 1994 को recall करते हुए कहा गया है कि आदेश दिनांक 07 जनवरी, 1994 के द्वारा निर्धारित किए गए Mechanism से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाये हैं और इस Mechanism के कारण litigation में विलम्ब हुआ है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है।

4– उत्तराखण्ड राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाद हैं, लम्बे समय से जिनका हल, उपर्युक्त Mechanism के कारण न तो न्यायालयों से और न ही HPC से हो पाया है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2011 को देखते हुए **कार्यालय ज्ञाप सं0 658/2013/08(120)/XXVII(8)/2003 दिनांक 03 जुलाई, 2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है** और आदेशित किया जाता है कि यदि राज्य सरकार का कोई विभाग, निगम, अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग, निगम, अथवा उपक्रम के किसी आदेश(order) अथवा कार्यवाही (proceedings) से क्षुब्ध(aggrived) है और उसे विवादित मानने के कारण किसी कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल से निस्तारित कराना चाहता है तो वह इस हेतु संबंधित कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल में, समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपील कर सकता है।

5– चूंकि इस कार्यालय ज्ञाप के द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन हो जायेगा अतः संक्रमण कालीन प्राविधान(Transitional Provisions) के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि यदि राज्य के किसी विभाग, निगम, अथवा उपक्रम, के किसी आदेश के कारण राज्य के किसी विभाग, निगम, अथवा उपक्रम के विरूद्ध किसी कर अथवा अन्य राशि की बकाया/मांग हो और उसकी वसूली के लिए "वसूली प्रमाण पत्र" जारी किए जाने योग्य हो तो ऐसे मामलों में "वसूली प्रमाण पत्र" इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के 90 दिनों तक, जारी नहीं किया जायेगा। इस अवधि में क्षुब्ध(aggrived) पक्ष को यह अवसर होगा कि वह इन 90 दिनों के अन्दर संबंधित कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल, जैसी भी स्थिति हो, से remedy/स्थगन/निर्णय प्राप्त कर ले।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0 1156 /2013/08(120)/XXVII(8)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों को।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6– उत्तराखण्ड सरकार के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– नोडल अधिकारी, गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति।
9– एन0आई0सी0
10– गार्ड फाइल हेतु।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।